न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—82/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/82)

1. पूसी पुत्री स्व0 रडमा आयु 70 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम कालाहेड़ी पटवार क्षेत्र किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर हाल निवास नयागांव तहसील मसूदा जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. लाला पुत्र कल्ला दत्तक पुत्र कामड जाति गुर्जर
2. हरलाल पुत्र पांचू दत्तक पुत्र छोटू जाति गुर्जर
3. कालू पुत्र पांचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम कालाहेड़ी पटवार क्षेत्र किराप तहसील मसुदा जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मसूदा, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2011 उपखण्ड अधिकारी मसूदा, राजस्व वाद संख्या 11/2006

उपस्थितः—

1. श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री सूरजसिंह चौहान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04.
4. रेस्पोडेंट संख्या 01, 03 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—24.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2006 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 वादी लाला पुत्र कल्ला के द्वारा एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा वादपत्र में नोटिस जारी होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाबदावा एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर बताया कि रडमा के एक पुत्री थी बल्कि रडमा के दो पुत्रियां थी तथा रडमा छोटू व कामड़ ने प्रतिवादी संख्या 1 को छोटू के पुत्र नहीं होने से गोदनामा पंजीयन कराया था तथा वाद पत्र की पैरा संसख्या 2 में

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

वर्णित भूमि खाता संख्या 73 के अतिरिक्त खाता संख्या 70 व खाता संख्या 71 की भूमि भी है जिससे उपरोक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब दावा व काउन्टर दावा स्वीकार किया जावे तथा छोटू पुत्र किशना के प्रतिवादी संख्या 1 गोद लिए जाने से उपरोक्त भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को दर्ज किया जावे तथा भूमि दखल बाधा कारित नहीं करे के पश्चात प्रकरण में कुल तनकीयात 5 कायम की गई। उभयपक्ष की बहस सुनते हुए वादी का वाद खारिज किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर निर्णय डिक्री दिनांक 28.12.2011 को पारित की गई जिसमें अपीलार्थीया पूसी जो खातेदार रडमा की पुत्री थी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अपीलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा में दिनांक 19.08.2021 को वाद प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी द्वारा दिनांक 02.02.2022 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि का पूर्व में वाद संख्या 11/2006 का निर्णय दिनांक 28.12.2011 को हो चुका है तो अपीलार्थी को जानकारी होने पर दिनांक 08.03.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में नकल का आवेदन प्रस्तुत किया तथा नकल दिनांक 10.03.2022 को प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है जो धारा 96 सीपीसी के तहत उक्त विधि के विपरीत प्रावधानों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2011 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पर कथन किया कि दावाकृत भूमि वादी ग्राम कालाहेडी की भूमि खाता संख्या 73 एवं खाता 70 व 71 के खातेदार छोटू व किशना व नोपी बेवा रडमा थी तथा सभी खातेदारान का बराबर बराबर 1/3 हिस्सा जमाबंदी मे निहित होने के बावजूद अपीलाधीन निर्णय डिक्री में 1/2 हिस्से का निर्णय पारित किया गया जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। राजस्व रिकार्ड की अनदेखी करते हुए एवं खातेदार रडमा व उसी पत्नी पूसी का वारिस अपीलार्थीया पूसी का 1/3 हिस्सा निहित होने पर भी उक्त महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज कर अपीलार्थीया पूसी को बिना पक्षकार बनाए निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2011 को पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर निर्णय डिक्री दिनांक 28.12.2011 को पारित की गई जिसमें अपीलार्थीया पूसी जो खातेदार रडमा की पुत्री थी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अपीलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा में दिनांक 19.08.2021 को वाद प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी द्वारा दिनांक 02.02.2022 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि का पूर्व में वाद संख्या 11/2006 का निर्णय दिनांक 28.12.2011 को हो चुका है तो अपीलार्थी को जानकारी होने पर दिनांक 08.03.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में नकल का आवेदन प्रस्तुत किया तथा नकल दिनांक 10.03.2022 को प्राप्त कर अधिवक्ता से सलाह प्राप्त कर अविलंब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः

न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदत्त कर पक्षकार बनाया जाकर अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान करने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायाल द्वारा वादी का वाद खारिज किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर निर्णय डिक्री दिनांक 28.12.2011 को पारित की गई जिसमें अपीलार्थीया पूसी जो खातेदार रडमा की पुत्री थी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया तथा अपीलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा में दिनांक 19.08.2021 को वाद प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी द्वारा दिनांक 02.02.2022 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि उपरोक्त भूमि का पूर्व में वाद संख्या 11/2006 का निर्णय दिनांक 28.12.2011 को हो चुका है तो अपीलार्थी को जानकारी होने पर दिनांक 08.03.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में नकल का आवेदन प्रस्तुत किया तथा नकल दिनांक 10.03.2022 को प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह प्राप्त कर अविलंब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज कर प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1 का स्वीकार किया गया जो अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत तथा न्याय नियम सिद्धांत के विपरीत पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कुल तनकीयात 5 कायम की गई जिसमें प्रथम तनकीयात आया वादगस्त भूमियों की घोषणात्मक आज्ञाप्ति पाने के अधिकारी है तथा द्वितीय तनकीयात आया वादी वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादीया के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है तथा तृतीय तनकीयात आया वादी वादग्रस्त भूमि का बंटवारा करने का अधिकारी है तथा चतुर्थ तनकीयात आया प्रतिवादीगण प्रतिवाद पत्र में वर्णित कारणों से वाद खारिज कराने के अधिकारी है तथा पांचवा तनकीयात अनुतोष का कायम किया गया का निर्णय पारित करते समय अपीलार्थीया पूसी पुत्री रडमा के हक व अधिकारों एवं राजस्व रेकार्ड का किसी प्रकार से अवलोकन ही नहीं किया गया तथा प्रकरण में वाद पत्र में अपीलार्थीया पूसी का नाम अंकन किया गया कि रडमा के वारिस पुत्री पूसी है को बिना सूने बिना पक्षकार बनाए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश/डिक्री किए जाने योग्य है। ग्राम कालाहेडी की भूमि खाता संख्या 73 एवं खाता 70 व 71 के हाल खसरा नम्बर 1087,1088, 1089,1090,1092,1094,1097,1098,1762/925,1763/925,1791/1091, 1793/1095,1795/1096,1796/1096, 926, 952, 963, 964, 965, 967 खातेदार छोटू व किशना व नोपी बेवा रडमा थी तथा सभी खातेदारान का बराबर बराबर 1/3 हिस्सा जमाबंदी में निहित होने के बावजूद अपीलाधीन निर्णय डिक्री में 1/2 हिस्से का निर्णय पारित किया गया जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड की अनदेखी करते हुए एंव खातेदार रडमा व उसकी पत्नीअनोपी की वारिस अपीलार्थीया पूसी का 1/3 हिस्सा निहित होने पर भी उक्त महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज कर अपीलार्थीया पूसी को बिना पक्षकार बनाए निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2011 को पारित की

गई की जानकारी अपीलार्थीया द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर हुई। जिसकी नकल प्राप्त कर धारा 96 सीपीसी तहत नियमानुसार अपील प्रस्तुत की गई है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2006 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2011 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थीया द्वारा किए गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थीया व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं है। हैं। अपीलांट का यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,मसूदा के समक्ष इसी भूमि बाबत् एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 राज.काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया है, जिसमें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. के तहत् जानकारी होने पर यह अपील प्रस्तुत की है। जो भारी मियाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

9. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02 ने जवाब/बहस अपील पर कथन किया कि मौजा कालाहेडी पटवार क्षेत्र किराप भू0अभि0नि0 क्षेत्र किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर की सम्वत 2058 से 2061 के अनुसार पत्रावली में वर्णित भूमि वाकै मौजा कालाहेडी में स्थित है। उपरोक्त भूमियों के खातेदार काश्तकार श्री किशनाजी गुर्जर थे जिसके वारिस के रूप में उनके तीन पुत्र क्रमशः श्री रडमा, श्री छोटू एवं श्री कामड थे। वादी का यह कहना गलत है कि रड़मा, छोटू, कामड तीनो ने मिलकर गोद लिया बल्कि सही तो यह है कि छोटू के कोई पुत्र नहीं कारण प्रतिवादी संख्या 01 को गोद लिया और गोदनामा पंजीयन भी कराया वादी ना तो किसी के गोद गया और ना ही किसी का वारिस है। वादी केवल मात्र दूसरो के हिस्से की जमीन हड़पने की नीयत रखता है। प्रतिवादी संख्या 01 ही छोटू के गोद गया और दत्तक पुत्र के रूप में रहा और प्रतिवादी संख्या 01 ने ही छोटू,रड़मा व कायड की सेवा की तथा उनके क्रियाक्रम का 12 वे की रस्म तथा सभी धार्मिक क्रियाकर्म सम्पादित किये। यह कहना भी गलत है कि प्रतिवादीगण ने छोटू को धोखे में लेकर गोदनामा रजिस्टर्ड करवाया बल्कि बाल्य अवस्थान से ही हरलाल छोटू के पुत्र के रूप में रहा और अन्त तक सेवा हरलाल ने की एवं मृत्यु के पश्चात भी सारे क्रियाकर्म प्रतिवादी संख्या 01 ने ही सम्पन्न किये। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रतिवादीगण का जवाब दावा स्वीकार किया है जिसमें उनको छोटू द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा के गोद

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लेने एवं खातेदार छोटू पुत्र किशना की मृत्यु हो जाना पाया जिससे प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम अनुतोष योग्य पाये जाने के कारण काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में प्रतिवादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने के आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक व विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

10. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में किए गए कथनों के अनुसार राजस्व रिकार्ड की अनदेखी करते हुए एवं खातेदार रडमा व उसकी पत्नी अनोपी का वारिस अपीलार्थीया पूसी का हिस्सा निहित होने पर भी उक्त महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज कर अपीलार्थीया पूसी को बिना पक्षकार बनाए निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2011 को पारित की गइ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाए निर्णय व डिक्री पारित की गई है ,साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीया हितबद्ध व सदभाविक पक्षकार है जिससे उसके हित प्रभावित हुए हैं व अपीलांट व्यथित हुआ है एवं व्यथित होने के कारण यह अपील 96 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2011 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित समझते है।

11. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत होने से अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना व उक्त प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किए जाते हैं।

12. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात बाबत रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा बंटवारे का राजस्व वाद विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 प्रस्तुत किया था जिस पर रेसपोडेंट सख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायाल के समक्ष प्रस्तुत होकर वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद के कथनों को अस्वीकार कर विवादित आराजीयात बाबत छोटू पुत्र किशना के 1/2 हिस्से बाबत स्वयं को दत्तक पुत्र बताते हुए विवादित आराजीयात बाबत छोटू पुत्र किशना के हिस्से बाबत स्वयं को खातेदार/काश्तकार किए जाने हेतु काउन्टर कलेम प्रस्तुत किया था जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुल 5 तनकिया निर्णित की गई जिसमें प्रथत तनकी आया वादी वादग्रस्त भूमियों की घोषणात्मक आज्ञप्ति पाने के अधिकारी हैं। बाबत वादी एवं समस्त प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर उक्त तनकी का निर्णय विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण निर्णित किया तथा वादी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बाबत स्वयं को कामड का दत्तक पुत्र संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने में अस्समर्थ रहे हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसी प्रकार से तनकी संख्या 2 व 3 का निर्णय भी विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादीगण निर्णय किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 4 का विस्तृत रूप से निर्णय पारित कर उक्त तनकी का निर्णय विरूद्ध वादीगण बहक प्रतिवादीगण निर्णय कर वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों व साक्ष्यों का अवलोकन कर उक्त काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया जाकर उनके समक्ष लंबित राजस्व वाद को दिनांक 28.12.2011 को विधिनुसार निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान किया था। वर्तमान में अपीलांट पूसी पुत्री रडमा द्वारा उक्त आलौच्य आदेश को हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त अपील के माध्यम से चुनौति प्रदान की है तथा अपीलांट विवादित आराजीयात बाबत उक्त चुनौतिधीन आदेश से किस प्रकार प्रभावित है यह साबित करने में पूर्णतः असफल रही है तथा वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात बाबत वर्तमान अपीलांट के हक एवं अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं तथा उक्त अपील में किसी प्रकार से विधि बल नहीं होने के कारण उक्त अपील इसी स्तर पर निरस्त किए जाने योग्य प्रतीत होने से उक्त अपील निरस्त की जाती है।

13. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है व उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2006 में पारित आदेश दिनांक 28.12.2011 को यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 24.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

डिगरी ब सीगे अपील
(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।
ब इजलास:- श्री राजेन्द्रसिंह शेखावत, आर.ए.एस.

1. पूसी पुत्री स्व0 रडमा जाति गुर्जर निवासी ग्राम कालाहेड़ी पटवार क्षेत्र किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर हाल निवासी नयागांव तहसील मसूदा जिला अजमेर।

बनाम

1. लाला पुत्र कल्ला दत्तक पुत्र कामड़ जाति गुर्जर निवासी ग्राम कालाहेड़ी पटवार क्षेत्र किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर व अन्य।

अपील संख्या 82/2022 निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मसूदा मुवर्खे 28 माह 12 सन् 2011 प्रकरण संख्या 11/2006

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188,राज0 काश्त0 अधिनिय 1955

यह अपील ब तारीख 24 माह 01 सन् 2023 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर व हाजिर श्री मंगलाराम चौधरी, अभिभाषक अपीलांट,श्री सूरजसिंह चौहान, अभिभाषक रेस्पो संख्या 02, श्री विकास पारासर राजकीय अधिवक्ता रेस्पो सख्या 04,रेस्पो संख्या 01,03 अनुपस्थित, समाप्त के लिये पेश होकर हुक्म हुआ हैं कि:-अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 11/2006 मे पारित आदेश दिनांक 28. 12.2011 को यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक.XXX. रूपये..XXX. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .XXX. अदा करें।)

हस्ब मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 24 माह 01 सन् 2023 को जारी किया

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये पैसे
1.स्टाम्प अपील	–	1.स्टाम्प वकालतनामा	–
2.स्टाम्प वकालतनामा	–	2.स्टाम्प अर्जी	–
3.इजराय हुकनामा	–	3.इजराय हुकमनामा	–
4.वकील फीस बाबत	–	4.महनताना वकील	–
मीजान	–	मीजान	–

नोट:-इस खर्च के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।